रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 1995/कार्तिक 10, 1917
No. 435] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 1995/KARTIKA 10, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1995

सं. 114/95—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 708(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष संख्यांक 22.02 के अधीन आने वाले माल की बाबत टैरिफ मूल्य, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट रकम के बराबर, नियत करती है।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन	रकम
1	2	3
1.	वातित जल, जिसमें चीनी या मधुरण द्रव्य या सुरुचिकारक मिलाया गया है,—	
	(क) ऐसी बोतलें जिनमें 200 मि.ली. से अधिक किन्तु 300 मि.ली. से अनधिक	2.70 रुपए प्रति बोतल
	(ख) ऐसी बोतलें जिनमें 300 मि.ली. से अधिक किन्तु 500 मि.ली. से अनधिक	3.75 रुपए प्रति बोतल
	(ग) ऐसी बोतलें जिनमें 500 मि.ली. से अधिक किन्तु 1000 मि.ली. से अनधिक	7.50 रुपए प्रति बोतल

[फा.सं. 332/65/95-टी.आर.यू.]

राजीव तलवार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1995

NO. 114/95-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 708 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, hereby fixes tariff values in respect of the goods, specified in the column (2) of the Table hereto annexed and falling under Heading No. 22.02 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), equivalent to the amount as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Description of goods	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured.	
	(a) in bottles containing more than 200 millilitres but not exceeding 300 millilitres	Rs. 2.70 per bottle

(1)	(2)	(3)
	(b) in bottles containing more than 300 millilitres but not exceeding 500 millilitres	Rs. 3.75 per bottle
	(c) in bottles containing more than 500 millilitres but not exceeding 1000 millilitres	Rs. 7.50 per bottle

[F. No. 332/65/95-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1995

सं. 156/95–सीमाशुल्क

सा.का.नि. 709(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 117/94–सीमाशुल्क तारीख 27 अप्रैल, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और स्पष्टीकरण रखा जाएगा अर्थात् :—

"सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1.	किसी रूप में स्वर्ण जिसमें द्रव स्वर्ण भी है	प्रति 10 ग्राम 220 रुपए
2.	किसी रूप में चांदी	प्रति किलोग्राम 500 रुपए

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "किसी रूप में स्वर्ण जिसमें द्रव स्वर्ण भी है" और "किसी रूप में चांदी" पदों के अन्तर्गत स्वर्ण अथवा चांदी यथास्थिति से बने हुए गोलाकार फलक, सिक्के और आभूषण हैं (विदेशी भुगा सिक्के और रत्न या मुक्ता जटित आभूषणों को छोड़ कर)

[फा. सं. 345/9/95–टी.आर.यू.]
राजीव तलवार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, अधिसूचना संख्या 117/94-सीमा शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 1994 [सा. का. नि. 417(अ)], तारीख 27 अप्रैल, 1994 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1995

No. 156/95-CUSTOMS

G.S.R. 709 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117/94-Customs, dated the 27th April, 1994, namely:—

In the said notification, for the Table annexed thereto, the following Table and Explanation shall be substituted, namely:—

"TABLE

S. No.	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Gold in any form including liquid gold	Rs. 220 per 10 grams
2.	Silver in any form	Rs. 500 per kilogram

Explanation.—For the purposes of this notification, the expressions "Gold in any form including liquid gold" and 'Silver in any form include medallions, coins and jewellery made of gold or silver, as the case may be (except the foreign currency coins and jewellery studed with stones or pearls)."

[F. No. 345/9/95-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy.

Note.—The Principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. 117/94-Customs, dated the 27th April, 1994 [G.S.R. 417 (E)], dated the 27th April, 1994].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1995